

FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 25

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (अलवर)

अशोक पुत्र रोहताश जाति अहीर निवासी ग्राम नांगल अटेली तह. नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि0।

बनाम


रोहताश पुत्र रामपत उर्फ रतीराम जाति अहीर निवासी ग्राम नांगल अटेली तह. नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि0।

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट

न0 25

सन 20.03.2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	<p>20.03.2018 आज यह पत्रावली मूल वादपत्र के साथ पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित आये। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रकरण पृथम दृष्टया बनता है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा चन्द्रोजा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 40, 37, 43, 58, 59 कुल किता 05 वाके ग्राम खातीवास तह0 नीमराना जिला अलवर राजस्थान के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। क्यौना उक्त आदेश ताफैसला सम्पुष्ट कर दिया जावे। इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करे। वास्ते तलबी अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। बाद तलबी पत्रावली दिनांक 03.05.2018 को पेश हो।</p>	


उप खण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

17-9-19 माफ गेह पत्रावली प्रतीक्षित
के प्रपत्र पर नजर होकर पत्रावली
प्रतीक्षित के प्रपत्र में निवेदन
क्रिया हेतु प्रपत्र क्र: पत्र क्र: 1
की क्रमांक पर निवेदन कला चाहा है
प्रतीक्षित का प्रपत्र पर सुनाया
होकर क्रिया प्रतीक्षित का प्रपत्र
क्र: 1 के पर सुनाया क्रिया
क्र: 1 है प्रतीक्षित के नया
प्रपत्र पत्रावली की क्रमांक
की प्रतीक्षित प्रपत्र पर सुनाया
होकर क्रिया प्रतीक्षित के
क्र: 1 है प्रपत्र क्र: 1 संलग्न
प्रपत्र पर है

उपखण्ड अधिकारी
नीमराग (अलवर) राज.